# उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय, गुमला।

(आपूर्ति शाखा)

**(आदेश)**

ग्राम–गढ़वाली, पंचायत–पुसो, प्रखण्ड–सिसई, जिला–गुमला के विरूद्ध दिनांक 23.07.2024 को दैनिक अखबार प्रभात खबर में प्रकाशित एवं इनके दुकान के अध्यक्ष– श्रीमति सुमित्रा देवी, कोषाध्यक्ष– श्रीमति चिन्ता देवी द्वारा दिनांक 23.07.2024 को कार्यालय में आवेदन पत्र समर्पित किया गया है। दिये गये आवेदन में इनके एवं अन्य ग्रामीणों द्वारा कहा गया है कि माँ दुर्गा मण्डल महिला समिति गढ़वाली में अध्यक्ष श्रीमति–सुमित्रा देवी, पति–गन्दुरा बैठा, सचिव–रूकमनी बड़ाईक, पति– प्रदीप बड़ाईक तथा कोषाध्यक्ष–चिन्ता देवी, पति–चुईंटा मुण्डा के नाम से जन वितरण प्रणाली दुकान का लाईसेन्स निर्गत किया गया है। जिसका लाईसेन्स नं0 11/09 है। वर्तमान में इस जन वितरण प्रणाली दुकान का संचालन सचिव–रूकमनी बड़ाईक, पति–प्रदीप बड़ाईक द्वारा अपने दबंगाई के साथ चला रहे है। तथा अन्य सदस्यों को माँ दुर्गा मण्डल महिला समिति से निष्कासित कर दिया गया है और उन्हें किसी प्रकार का कोई लेखा–जोखा नहीं दिया जा रहा है। रूकमनी बड़ाईक के विरूद्ध मनमाने तरीके से राशनकार्डधारियों का राशन कार्ड को भी रद्द कर दिये जाने एवं राशन का कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया है। तथा अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष अपने ऊपर किसी तरह का कालाबाजारी का आरोप ना लगे इसके लिए जन वितरण प्रणाली दुकान को रद्द करने का अनुरोध किया है। उक्त विषय के संबंध में इस कार्यालय का पत्रांक 552/आ0, दिनांक 23.07.2024 एवं पत्रांक 612(ii)/आ0, दिनांक 27.08.2024 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई थी परन्तु PDS विक्रेता द्वारा किसी प्रकार का स्पष्टीकरण कार्यालय में समर्पित नहीं किया गया।

अतः उपरोक्त परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है कि माँ दुर्गा महिला मंडल, जन वितरण प्रणाली, दुकानदार द्वारा मनमाने एवं आपसी मतभेद के कारण गलत तरीके से राशन कार्डधारियों का नाम विलोपित कराया गया है जो कि **"झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022" के शर्तो का घोर उल्लंघन है। अतः माँ दुर्गा महिला मंडल, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, अनुज्ञप्ति सं0–11/09, ग्राम–गढ़वाली, पंचायत–पुसो, प्रखण्ड–सिसई, जिला–गुमला को तत्काल प्रभाव से निलंबित की जाती है।** तथा माँ दुर्गा महिला मण्डल के अनुज्ञप्ति से टैग सभी राशन कार्डधारियों को उसी पंचायत के श्री मनोज उराँव, जन वितरण प्रणाली दुकानदार, अनुज्ञप्ति सं0–J05150, से टैग किया जाता है। श्री मनोज उराँव को आदेश दिया जाता है कि सभी राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण **झारखण्ड लक्षित जन वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश, 2022 के शर्तो** के आलोक में दुकान स्तर पर गठित निगरानी समिति/जन प्रतिनिधियों के समक्ष वितरण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/–

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गुमला।

ज्ञापांक 618(ii)/आ0, दिनांक 03/09/2024

प्रतिलिपिः– माँ दुर्गा महिला मण्डल, अनुज्ञप्ति संख्या–11/09, एवं श्री मनोज उराँव, अनुज्ञप्ति संख्या–J05150, पंचायत–पुसो, प्रखण्ड–सिसई, जिला–गुमला को इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन/ई–पॉस मशीन तथा अवशेष खाद्यान्न का आदान–प्रदान करने हेतु अनुपालानार्थ प्रेषित।

Scanned with OKEN Scanner

प्रतिलिपिः— AGM/DSD सिसई / साजबुन निशा / जगदीश नाथ एण्ड कंपनी गुमला को सूचनार्थ एवं अनुपालानार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अंचल अधिकारी—सह—प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, सिसई को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— अनुमण्डल पदाधिकारी, गुमला को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— अपर समाहर्त्ता—सह—शिकायत निवारण पदाधिकारी, गुमला को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपिः— उपायुक्त, गुमला को सादर सूचनार्थ समर्पित।

3/9/24

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गुमला।

03/09/2024

Scanned with OKEN Scanner